न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्रीमति सीमा कविया, आर.ए.एस.

परिवाद संख्या 23/17

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर		1.श्री विष्णु भाटी पुत्र श्री किशोर भाटी, उम्र 50 वर्ष (एफबीओ/मालिक) फर्म मैसर्स–विष्णु डेयरी, पताः– इनकम टैक्स ऑफिस के पास, पावटा सी रोड़, जोधपुर। निवासी :–राजीव नगर, सेक्टर ऐ, शिव मंदिर के पास, जोधपुर।

आदेश

1. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 26.10.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा. एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा गश्त चैकिंग दौरान अप्रार्थी मैसर्स विष्णु डेयरी, इनकम टैक्स ऑफिस के पास, पावटा सी रोड़, जोधपुर पहुँच कर निरीक्षण करने दौरान पनीर डीप फ्रीजर में 15 किलोग्राम आम जनता को विक्रय हेतु रखा था। उक्त पनीर 1 किलोग्राम साफ सुखी खाली स्टील की भगोनी में नमूना संख्या एम–1310 वास्ते जांच मिलावट/अमानक स्तर का होने के शक पर रूबरू गवाहों के रूपये 300/– नगद देकर खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की गई। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता एवं गवाह के हस्ताक्षर हैं जिसकी असल प्रति संलग्न है। विक्रेता एवं गवाह के सामने उक्त नमूना 1 किलाग्राम पनीर को क्रश कर एक रूप कर चार साफ सुखी एवं खाली सेम्पल बॉटल्स में बराबर–बराबर (250 ग्राम) डालकर प्रत्येक नमूना शीशी में 40 प्रतिशत फार्मेलिन की 20–20 बून्दें बतौर परिरक्षक की डाली एवं ढक्कन से एयर टाईट बन्द किया गया एवं इन चारों मूल बोटल्स हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड़ व सीरियल नम्बर एम–1310 खाद्य पदार्थ का विवरण एवं नमुना लेने का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, विक्रेता व गवाह ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। चारों नमूनों को अलग अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप एम–1310 हस्ताक्षर युक्त डॉ. अनिल मित्तल, अभिहित अधिकारी, जोधपुर की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचे पेंदें तक गोंद से चिपकाई चारों नमनों को अलग–अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार–चार सील चपड़ी की लगाई। एक नमूनें के सिर पर एक पेंदे पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर कोस करवाते हुए हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवाये तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे में किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में जांच अधिकारी, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सीले से नमूना एम–1310 सील चपड़ी किया उसका मोनाग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही असल मौके पर ही की फर्द संलग्न है।
2. जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पहुंच पर फार्म नं. 6 की प्रतियां तैयार की । जिन पर खाद्य सुरक्षा विश्लेषक का पता अंकित किया गया । उक्त एवं सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाबा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा दिनांक 27.10.2016 के साथ खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदें प्राप्त की गई । प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया गया कि उक्त पनीए के 1 किलोग्राम 04 बोटल्स को अलग–अलग 2–2 भागों में एम–1310 की जाँच कर फूड एनालिस्ट, जोधपुर ने अपनी जाँच रिपोर्ट

एल.एस. 1336/एक्ट/2016/1362 दिनांक 17.11.2016 को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जॉच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ अमानक स्तर का होना पाया गया। उक्त प्रकरण में खाद्य पदार्थ का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2 (।।) का उल्लंघन पाये जाने से इस आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने हेतु यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आदेश, गजट नोटिफिकेषन की प्रति, कार्य का नोटिफिकेशन, की प्रति, माल खरीद बिल असल, फर्द मौका, रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 05 ए असल एवं नमूना जमा रसीद, नमूना विवरण, नमूना खरीद रसीद, नमूना एम–1310 एवं खाद्य विश्लेषक जोधपुर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली करने हेतु आवेदन फाई करने बाबत् लिखा गया, प्रति की प्रति प्रस्तुत की गयी ।

3. अप्रार्थी श्री विष्णु भाटी पुत्र श्री किशोर भाटी, उम्र 50 वर्ष (एफबीओ/मालिक) फर्म मैसर्स–विष्णु डेयरी, पताः– इनकम टैक्स ऑफिस के पास, पावटा सी रोड़, जोधपुर।निवासी :–राजीव नगर, सेक्टर ऐ, शिव मंदिर के पास, जोधपुर को प्रकरण में अपना पक्ष रखने हेतु न्यायालय द्वारा नोटिस जारी किये जो तामिल कुनिन्दा जारी अप्रार्थी से तामिल करवाये गये। बावजूद नोटिस तामिल एवं सूचना पाकर अप्रार्थी ने अपना जवाब एवं पक्ष न्यायालय के समक्ष नहीं रखा है। विवेचन के पश्चात पाया की अप्रार्थी के पास पब्लिक हैल्थ लेबोट्ररी जोधपुर की फूड ऐनेलेसिस रिपोर्ट दिनांक 17.11.2016 के विरूद्ध अप्रार्थी अपील कर सकता था। परन्तु बावजुद सूचनार्थ अप्रार्थी ने निर्धारित तीस दिवस की अवधी में धारा 46 की उपराधा 4 के अधीन फार्म संख्या 8 में अपील नहीं की। ऐसी स्थिती में फूड ऐनेलेसीस की रिपोर्ट से सहमत हूँ तथा अप्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(2) एवं धारा 52 के तहत दोषी पाये जाने से निर्माता फर्म 5 व 6 पर शास्ती रूपये 3000 ....अक्षरे रूपये तीन हजार आरोपित की जाती हैं अभियुक्त अप्रार्थी उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट शहर जोधपुर के नाम डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक ....के एक माह के अंदर–अंदर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करें। निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 24/5/17 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर
दिनांक :–24-5-2017

क्रमांकः–जांच/2017/1280-1282

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर।
02. श्री रेवत सिंह, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी जोधपुर।
03. श्री विष्णु भाटी पुत्र श्री किशोर भाटी, उम्र 50 वर्ष (एफबीओ/मालिक) फर्म मैसर्स–विष्णु डेयरी, पताः– इनकम टैक्स ऑफिस के पास, पावटा सी रोड़, जोधपुर।

(सीमा कविया)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर